रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 747] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 14, 2019/माघ 25, 1940
No. 747] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 14, 2019/MAGHA 25, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2019

का.आ. 869(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के का. आ. संख्या 3096(अ), तारीख 22 सितंबर, 2017 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 222 के 161.570 कि.मी. से 211.00 कि.मी. (अणि घाट से अहमदनगर बाइपास सेक्शन के आरंभ तक) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और अतः, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य में, रारा- 222 (नया रारा-61) के अणि घाट के समाप्त बिन्दु से अहमदनगर सेक्शन के आरंभ बिन्दु तक के 161.212 किमी से 210.527 किमी(डिज़ाइन चेनेज) तक पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क की निवल लंबाई 49.158 किमी {0.1566 किमी की संरचना को छोड़कर (जिसकी लंबाई 60 मी से अधिक है) जिनकी समकक्ष लंबाई 1.566 किमी} के लिए नीचे सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर(जिसे इसमें इसके पश्चात "आधार दर" कहा गया है) के 60% दर पर शुल्क उद्गृहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

सारिणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	**(2)**
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65

हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगा, अर्थात;

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है (60 मी लंबाई से अधिक की संरचना को छोड़कर)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रारा-222(नया रारा- 61) के 178.100 किमी पर (अहमदनगर जिले में ढोकी के निकट)	49.158	ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60 %

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रारा-222(नया रारा- 61) के 178.100 किमी पर (अहमदनगर जिले में ढोकी के निकट)	0.075*किमी	0.75	ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60 %
	0.0816*किमी	0.816	

* संरचनाओं का ब्यौरा (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली) निम्नलिखित है:

क्रम सं.	चैनेज आरंभ (किमी पर)	चैनेज समाप्त (किमी पर)	कुल लंबाई (किमी में)
1	194.305	194.375	0.075
2	197.610	197.691	0.0816
	संरचना की कुल लंबाई		**0.1566**

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2018-19 के लिए मासिक पास की दर 255.00/- रूपए (दो सौ पचपन रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1(ए) के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. ऊपर सारिणी-1 में यथा – उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा खण्ड की पूरी कर ली गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 112.12 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने हैं। अंतिम पूंजीगत लागत अलग से अधिसूचित की जाएगी । प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भारारापा/13013/547/सीओ/18-19/जीसी महाराष्ट्र(161.570-211.000)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2019

S.O. 869(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways Number S.O 3096 (E) dated 22nd September, 2017 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 161.570 to km 211.00 (Ani Ghat to Start of Ahmadnagar Bypass Section) on National Highway number 222 in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 60% of the base rate specified in column (2) in Table 1 for net road section length of 49.158 km {excluding 0.1566 Km of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 1.566 km} for use of the two lane with paved shoulders for the use of end of Ane Ghat to start of Ahmednagar section from km 161.212 to km 210.527 (design chainage) on National Highway number 222 (New NH-61) in the state of Maharashtra and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza, namely:-

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable (Excluding length of structures >60m length)	Rate at which fee is payable
At km 178.100, NH-222 (New NH-61) (Near Dhoki in Ahmednagar District)	49.158	60% of the base rates mentioned in Table-1 above.

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 178.100, NH-222 (New NH-61) (Near Dhoki in Ahmednagar District)	0.075* Km	0.75	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
	0.0816* Km	0.816	

* The details of structures (> 60 m length) are as under:

S.No.	Start Chainage (at km)	End Chainage (at km)	Total length (in km)
(i)	194.305	194.375	0.075
(ii)	197.610	197.691	0.0816
Total length of structure			**0.1566**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 255.00 (Rupees Two Hundred Fifty Five only) for the year 2018-19 and is subject to revision every year as per the provisions of the of said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fees specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 112.12 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/547/CO/18-19/GC-Maharashtra (161.570-211.000)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.15 14:12:42 +05'30'